

दिनांक 10-1-18 को पेश हो

10-1-18

वकील वादी उप वकील वादी द्वारा प्रतिवादी से। का समान पेश नहीं किया गया है पेश करने की दिशागत ही जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 05-02-18 को पेश हो

5-2-18

171

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा पुनः समान पेश किया, जारी बिना न/कब पत्रावली दिनांक 20/2/18 को पेश हो

20-2-18

में वादी उभ मुकदमा में कामवादी कोर्ट कार्यवाही नहीं चलाना

विजय नमो महम

20/2/18

वादी एवं वकील वादी उप वकील वादी द्वारा विधि उपलब्ध होकर निवेदन किया कि वह इस प्रकार में कामवादी कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहता जिसपर वकील वादी द्वारा प्रकारा को नोट पेश किया गया। वादी एवं वकील वादी द्वारा प्रकारा में कार्य कार्यवाही नहीं चाहते एवं प्रकारा को नोट पेश करने में प्रकारा को खारिज किया जाता है पत्रावली द्वारा न/कब से काम चलाना कार्यवाही वादी वकील वादी द्वारा खारिज करते हैं

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर